न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलेक्टर, करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)

पीठासीन अधिकारी :- जोगेन्द्र सिंह, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर 81 /2022 राजस्व वाद

01. श्रीमती सीता देवी पत्नी श्री भंवर लाल कुमावत आयु 46 वर्ष निवासी– ढाणिया सोमाणिया तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)

— वादीया

बनाम

01. लादू लाल पुत्र श्री भूरा कुमावत जाति कुमावत आयु वयस्क निवासी– ढाणिया सोमाणिया तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
02. सुवा लाल पुत्र श्री भूरा कुमावत जाति कुमावत आयु वयस्क निवासी– ढाणिया सोमाणिया तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
03. गणी देवी पुत्री श्री भूरा कुमावत जाति कुमावत आयु वयस्क निवासी– ढाणिया सोमाणिया तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
04. गीता देवी पुत्री श्री भूरा कुमावत जाति कुमावत आयु वयस्क निवासी– ढाणिया सोमाणिया तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
05. भंवरी देवी पुत्री श्री भूरा कुमावत जाति कुमावत आयु वयस्क निवासी– ढाणिया सोमाणिया तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
06. पन्ना लाल पुत्र श्री नेनूराम कुमावत जाति कुमावत आयु वयस्क निवासी– ढाणिया सोमाणिया तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
07. उमा लाल पुत्र श्री नेनूराम कुमावत जाति कुमावत आयु वयस्क निवासी– ढाणिया सोमाणिया तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
08. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब, करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
09. उपपंजीयक महोदय, पंजीयन कार्यालय, करेड़ा जिला भीलवाड़ा

— प्रतिवादीगण

वादपत्र घोषणा इन्द्राज दुरुस्ती एवं स्थायी निषेधाज्ञा

वादपत्र अन्तर्गत धारा– 88,89,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित :-

1. श्री मुकेश कुमार जैन —अधिवक्ता वादीया
2. एकपक्षीय– —प्रतिवादी संख्या 01 से 7
3. पेरोकार सरकार —प्रतिवादी संख्या 08 एवं 09

दिनांक–08.09.2025

:: निर्णय ::

प्रकरण के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि वादीया ने प्रतिवादीगण के विरूद्व वाद बाबत घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा का अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत इस आशय का पेश किया कि सरहद ढाणीया सोमाणिया पटवार हल्का रामपुरिया भू अभिलेख निरीक्षक वृत्त निम्बाहेड़ा जाटान तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0) मे आराजी नम्बर 97 सत्यानवे रकबा 0.2529 हैक्टयर, आराजी नम्बर 97/1 सत्यानवे/एक रकबा 0.2529 हैक्टयर भूमि स्थित है, जो वर्तमान राजस्व रेकार्ड प्रतिवादी संख्या 01 एक लगायत 07 सात के नाम पर दर्ज है। वादपत्र की चरण संख्या 01 एक मे वर्णित आराजी नम्बर 97 एवं 97/1 का मूल नम्बर 97 होकर रकबा 02 दो बीघा भूमि है। जो प्रतिवादी संख्या 01 एक एवं 02 दो व प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 05 पांच की माता श्रीमती मोहनी पत्नी श्री भूरा कुमावत के नाम पर दर्ज रेकार्ड थी। प्रतिवादी संख्या 01 एक लगायत 05 पांच की माता श्रीमती मोहनी देवी द्वारा आराजी नम्बर 97 रकबा 02 बीघा मे से अपना निहित सम्पूर्ण 1/3 एक/तीन हक हिस्सा की भूमि को अन्य आराजी के साथ वादीया को दिनाक 24 चौबीस अप्रेल 2006 दो हजार छह को विकय कर कब्जा सिपुर्द किया गया, जिस पर वादीया काबिज होकर उसका उपयोग उपभोग करती चली आ रही है। वादीया द्वारा आराजी नम्बर 97 रकबा 02 बीघा मे से 1/3 हक हिस्से की भूमि पर काबिज होकर उसका उपयोग उपभोग करती चली आ रही है। वादीया द्वारा पटवार हल्का को रजिस्ट्री की नकल भी दी गयी, पटवार हल्का द्वारा इंतकाल खोल देने का विश्वास दिलाया। वादीया का निरन्तर रूप से निर्बाध रूप से आमजन

उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलेक्टर करेड़ा

Scanned with OKEN Scanner

पक्षकारो की जानकारी मे कब्जा एंव उपयोग उपभोग चला आ रहा है। वादीया अपनी क्रयशुदा उक्त भूमि पर काबिज होकर उसका उपयोग उपभोग करती चली आ रही है। हाल ही मे दिनांक 12 बारह अप्रेल 2022 दो हजार बाईस को प्रतिवादी संख्या 01 एक लगायत 07 सात मौके पर आये व वादीया को जबरन बेदखल करने का प्रयास किया व उक्त भूमि मे उनका नाम दर्ज होने से वादीया को जबरन बेदखल करने व आराजियात को खुर्द बुर्द करने की धमकी दी। इस पर वादीया ने राजस्व रेकार्ड की नकले प्राप्त की व जानकारी की तो पता चला कि वादीया द्वारा प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 05 पाच की माता श्रीमती मोहनी देवी से आराजी नम्बर 97 रकबा 02 बीघा मे से 1/3 हक हिस्सा दिनांक 24 चौबीस अप्रेल 2006 दो हजार छह को अन्य आराजी के साथ रजिस्टर्ड विक्रयपत्र के जरिये क्रय किया गया, लेकिन पटवार हल्का द्वारा अन्य आराजी का नामान्तरणकरण संख्या 391 दिनांक 31 इगतीस मई 2006 दो हजार छह को खोल दिया गया, लेकिन आराजी नम्बर 97 का नामान्तरणकरण सेहवन से खोलना रह गया, जिसका फायदाद उठा प्रतिवादी संख्या 01 एक लगायत 05 पांच की माता मोहनी देवी एंव प्रतिवादी संख्या 01 एवं 02 द्वारा प्रतिवादी संख्या 01 की माता मोहनी द्वारा अपना सम्पूर्ण हक हिस्सा वादीया को विक्रय कर देने के बावजूद भी वादीया को विक्रयशुदा हक हिस्से सहित 01 बीघा भूमि को प्रतिवादी संख्या 05 पांच एवं 06 छह को 18 अठारह मार्च 2019 दो हजार उन्नीस को विक्रय कर दी , तत्पश्चात मोहनी देवी की मृत्यु हो जाने से विरासत से शेष हक हिस्सा प्रतिवादी संख्या 01 एक लगायत 05 पांच के नाम पर दर्ज हो चुका है। प्रतिवादी संख्या 01 एक लगायत 05 पांच की माता मोहनी देवी द्वारा प्रतिवादी संख्या 01 एक एवं 02 के साथ प्रतिवादी संख्या 06 एवं 07 सात को दिनाक 18 मार्च 2019 दो हजार उन्नीस को निष्पादित विक्रयपत्र जो कि वादीया के पक्ष मे निष्पादित रजिस्टर्ड विक्रयपत्र के पश्चातवर्ती विक्रय होने से 1/3 हक हिस्से के मुकाबले शुरू से ही अवैध व शून्य एवं निष्प्रभावी (नल एण्ड वोईड) घोषित होने योग्य है। प्रतिवादी संख्या 06 एवं 07 सात के पक्ष मे निष्पादित विक्रयपत्र के आधार प्रतिवादी संख्या 06 एवं 07 सात के नाम पर आराजी नम्बर 97/1 रकबा 0.2529 हेक्टयर नम्बर कायम हुए है। वादीया द्वारा प्रतिवादी संख्या 01 एक लगायत 07 सात को कई बार वादीया का 1/3 हक हिस्से की भूमि वादीया के नाम पर दर्ज कराने हेतु कहने पर प्रतिवादी संख्या 01 एक लगायत 07 सात बार बार टालमटोल करते रहे व दिनाक 10 दस जून 2022 दो हजार बाईस को कहने पर साफ तौर इंकार कर दिया। सरहद ढाणीया सोमाणिया पटवार हल्का रामपुरिया भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र निम्बाहेडा जाटान तहसील करेडा जिला भीलवाडा (राज0) की आराजी नम्बर 97 रकबा 02 बीघा मे से वादीया द्वारा खातेदारी मोहनी का 1/3 हक हिस्सा दिनांक 24 चौबीस अप्रेल 2006 दो हजार छह को रजिस्टर्ड विक्रयपत्र के जरिये क्रय किया गया, उक्त आराजी का मोहनी द्वारा अपना हक हिस्सा विक्रय कर देने के बावजूद भी मोहनी द्वारा अपना 1/3 हक हिस्सा प्रतिवादी संख्या 06 एवं 07 सात के पक्ष मे निष्पादित विक्रयपत्र दिनांकित 18 अठारह मार्च 2019 दो हजार उन्नीस को निष्पादित वादीया के पक्ष मे निष्पादित विक्रयपत्र के पश्चातवर्ती विक्रयपत्र होने से 1/3 हक हिस्से तक नल एण्ड वोईड (अवैध शून्य निष्प्रभावी) घोषित किया जाकर वादीया राजस्व रेकार्ड मे इन्द्राज दुरूस्ती करा आराजी नम्बर 97 रकबा 0.2529 हैक्टयर एवं आराजी नम्बर 97/1 रकबा 0.2529 हैक्टयर मे से 1/3 हक हिस्से तक प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 07 सात की भूमि कम करा 1/3 हक हिस्से की भूमि वादीया खातेदार काश्तकार घोषित होने की अधिकारीणी है, तद्नुसार घोषणात्मक डिक्री बहक वादीया विरूद्व प्रतिवादी संख्या 01 एक लगायत 07 सात सादिर फरमायी जाना न्यायोचित एवं आवश्यक है। प्रतिवादी संख्या 01 एक लगायत 07 सात राजस्व रेकार्ड मे अपना नाम दर्ज रहने की आड मे वादीया को विवादग्रस्त आराजीयात से जबरन शक्ति के बल पर बेदखल करने व आराजी को किसी अन्य को रहन, विक्रय, हस्तांतरण/खुर्द बुर्द करने पर आमादा है। इस कारण वादीगण के पक्ष मे एंव प्रतिवादीगण के विरूद्व स्थायी निषेधाज्ञा जारी फरमायी जाना न्यायोचित एवं आवश्यक है कि प्रतिवादीगण वादीया को उक्त आराजीयात से जबरन शक्ति के बल पर बेदखल नही करे व न ही किसी अन्य से करावे व वादीया को उक्त आराजीयात का शांति पूर्वक ढंग से उपयोग उपभोग करने देवे व किसी प्रकार की बाधा अथवा रूकावट न तो स्वयं पैदा करे व न ही किसी अन्य से करावें।

इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया व प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किया गया व प्रतिवादीगण के उपस्थित नही होने से एकपक्षीय कार्यवाही की गयी । वादी द्वारा वादी द्वारा प्रकरण मे दस्तावेजात जमाबंदी की नकले, अपने पक्ष मे निष्पादित विक्रयपत्र, नामान्तरणकरण जमाबदी दस्तावेज व प्रतिवादी संख्या 05 एवं 06 के पक्ष मे निष्पादित विक्रयपत्र पेश किये, जिन्हे प्रदर्शित किया गया।

उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर करेडा

Scanned with OKEN Scanner

अधिवक्ता वादी की बहस सुनी गयी व अधिवक्ता द्वारा वाद के तथ्यो को दोहराते हुए वादग्रस्त आराजियात मे प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 05 की माता मोहनी द्वारा 1/3 एक हिस्सा वादीया को जिस्टर्ड विक्रयपत्र के जरिये विक्रय करने व इसके बावजूद भी प्रतिवादी संख्या 06 एवं 07 के पक्ष मे नेष्पादित विक्रयपत्र पश्चातवर्ती विक्रयपत्र होने से उसे वादीया के वैध हक अधिकार के मुकाबले अवैध व शून्य घोषित कर वादीया को खातेदार काश्तकार घोषित करने का निवेदन किया। वादपत्र को डिक्री करने का निवेदन किया गया।

मैने वादी के अधिवक्ता की बहस सुनी गयी व वादीया द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया, सरहद ढाणीया सोमाणिया पटवार हल्का रामपुरिया भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र निम्बाहेड़ा जाटान तहसील करेड़ा जिला भीलवाडा (राज0) मे आराजी नम्बर 97 रकबा 0.2529 हैक्टयर, आराजी नम्बर 97/1 रकबा 0.2529 हैक्टयर जिसके मूल नम्बर 97 होकर रकबा 02 दो बीघा होकर प्रतिवादी संख्या 01 एक एवं 02 दो व प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 05 पांच की माता श्रीमती मोहनी पत्नी श्री भूरा कुमावत के नाम पर दर्ज रेकार्ड थी। प्रतिवादी संख्या 01 एक लगायत 05 पाच की माता श्रीमती मोहनी देवी द्वारा आराजी नम्बर 97 रकबा 02 बीघा मे से अपना निहित सम्पूर्ण 1/3 एक/तीन हक हिस्सा की भूमि को अन्य आराजी के साथ वादीया को दिनाक 24/04/2006 को विक्रय की है, लेकिन पटवार हल्का द्वारा इतकाल खोला गया, जिसमे आराजी नम्बर 97 का इतकाल नही खुला जिससे प्रतिवादी संख्या 01 एक लगायत 05 पाच की माता मोहनी देवी एव प्रतिवादी संख्या 01 एवं 02 द्वारा प्रतिवादी सख्या 01 की माता मोहनी द्वारा अपना सम्पूर्ण हक हिस्सा वादीया को विक्रय कर देने के बावजूद भी वादीया का विक्रयशुदा हक हिस्से सहित 01 बीघा भूमि को प्रतिवादी संख्या 06 एव 07 को 18 अठारह मार्च 2019 दो हजार उन्नीस को विक्रय कर दी, जो अवैध होकर उक्त विक्रयपत्र पश्चातवर्ती विक्रयपत्र होने से वादीया पर बाध्यकारी नही है। वादीया को क्रयशुदा भूमि वादीया के नाम पर दर्ज की जाना व विक्रयपत्र अवैध व शून्य घोषित किया जाना न्यायोचित व आवश्यक प्रतीत होती है। अत उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादीया का वादपत्र स्वीकार किये जाने योग्य योग्य ठहरता है। यत एव

:: आदेश ::

वादीया का वादपत्र स्वीकार कर सरहद ढाणीया सोमाणिया पटवार हल्का रामपुरिया भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र निम्बाहेड़ा जाटान तहसील करेड़ा जिला भीलवाडा (राज0) की आराजी नम्बर 97 रकबा 02 बीघा मे से 1/3 हक हिस्से का प्रतिवादी संख्या 06 एवं 07 सात के पक्ष मे निष्पादित विक्रयपत्र दिनांकित 18/03/2019 को वादीया के 1/3 हक हिस्से की हद तक अवैध, शून्य, निष्प्रभावी घोषित किया जाकर आराजी नम्बर 97 रकबा 02 बीघा जिसके प्रतिवादी संख्या 06 एवं 07 के पक्ष मे निष्पादित विक्रयपत्र के बाद कायम आराजी नम्बर 97 रकबा 0.2529 हैक्टयर एवं आराजी नम्बर 97/1 रकबा 0.2529 हैक्टयर मे से 1/3 हक हिस्से तक प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 07 सात की भूमि कम करा 1/3 हक हिस्से का वादीया को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर उसी अनुसार राजस्व रेकार्ड मे दर्ज की जावे। इस निर्णय की पालना मे तहसीलदार, करेडा को तहरीर जारी कर पालना सुनिश्चित करायी जावें। उक्तानुसार डिक्री जारी करे। फरिकेन खर्चा अपना अपना वहन करे।

यह निर्णय आज दिनांक 08.09.2025 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(जोगेन्द्र सिंह)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,
करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)

Scanned with OKEN Scanner

न्यायालय : उपखण्ड अधिकारी करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)

:: मूल वाद मे डिक्री ::

(आदेश 20 नियम 6-7 जा0दी0)

पीठासीन अधिकारी :– जोगेन्द्र सिंह, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर 81/2022 राजस्व वाद

01 श्रीमती सीता देवी पत्नी श्री भंवर लाल कुमावत आयु 46 वर्ष निवासी– ढाणिया सोमाणिया तहसील करेडा जिला भीलवाडा (राज0) — वादीया

बनाम

01 लादू लाल पुत्र श्री भूरा कुमावत जाति कुमावत आयु वयस्क निवासी– ढाणिया सोमाणिया तहसील करेडा जिला भीलवाडा (राज0)

02 सुवा लाल पुत्र श्री भूरा कुमावत जाति कुमावत आयु वयस्क निवासी– ढाणिया सोमाणिया तहसील करेडा जिला भीलवाडा (राज0)

03 गणी देवी पुत्री श्री भूरा कुमावत जाति कुमावत आयु वयस्क निवासी– ढाणिया सोमाणिया तहसील करेडा जिला भीलवाडा (राज0)

04 गीता देवी पुत्री श्री भूरा कुमावत जाति कुमावत आयु वयस्क निवासी– ढाणिया सोमाणिया तहसील करेडा जिला भीलवाडा (राज0)

05 भंवरी देवी पुत्री श्री भूरा कुमावत जाति कुमावत आयु वयस्क निवासी– ढाणिया सोमाणिया तहसील करेडा जिला भीलवाडा (राज0)

06 पन्ना लाल पुत्र श्री नेनूराम कुमावत जाति कुमावत आयु वयस्क निवासी– ढाणिया सोमाणिया तहसील करेडा जिला भीलवाडा (राज0)

07 उमा लाल पुत्र श्री नेनूराम कुमावत जाति कुमावत आयु वयस्क निवासी– ढाणिया सोमाणिया तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)

08 राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब, करेडा जिला भीलवाडा (राज0)

09 उपपंजीयक महोदय, पंजीयन कार्यालय, करेडा जिला भीलवाडा — प्रतिवादीगण

<u>वादपत्र घोषणा इन्द्राज दुरुस्ती एवं स्थायी निषेधाज्ञा</u>

<u>वादपत्र अन्तर्गत धारा– 88,89,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम</u>

वादी की ओर से श्री मुकेश कुमार जैन, एडवोकेट और प्रतिवादी की ओर से पेरोकार सरकार की उपस्थिति मे इस वाद के आज दिनांक 08.09.2025 को न्यायालय के समक्ष अंतिम निपटारे के लिये पेश होने पर आदेश दिया जाता है कि और डिक्री की जाती है कि और इस मद के खर्चे लेखो प्रतिशत रूपयो की राशि आज तारीख से वसूली तारीख तक उस पर प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज सहित द्वारा राशि नील को दी जायें।

वादीया का वादपत्र स्वीकार कर सरहद ढाणीया सोमाणिया पटवार हल्का रामपुरिया भू अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र निम्बाहेड़ा जाटान तहसील करेडा जिला भीलवाडा (राज0) की आराजी नम्बर 97 रकबा 02 बीघा मे से 1/3 हक हिस्से का प्रतिवादी संख्या 06 एवं 07 सात के पक्ष मे निष्पादित विक्रयपत्र दिनांकित 18/03/2019 को वादीया के 1/3 हक हिस्से की हद तक अवैध, शून्य, निष्प्रभावी घोषित किया जाकर आराजी नम्बर 97 रकबा 02 बीघा जिसके प्रतिवादी संख्या 06 एवं 07 के पक्ष मे निष्पादित विक्रयपत्र के बाद कायम आराजी नम्बर 97 रकबा 0.2529 हैक्टयर एवं आराजी नम्बर

उपखण्ड अधिकारी ...

Scanned with OKEN Scanner

क्र°/1 रकबा 0.2529 हैक्टयर मे से 1/3 एक हिस्से तक प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 07 सात की भूमि कम करते 1/3 एक हिस्से का वादीया को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर उसी अनुसार राजस्व रेकार्ड मे दर्ज की जावे। इस निर्णय की पालना मे तहसीलदार, करेडा को तहरीर जारी कर पालना सुनिश्चित करायी जावें।

(जोगेन्द्र सिंह)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,
करेडा जिला भीलवाडा (राज0)

यह डिक्री आज दिनांक 08.09.2025 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय मोहर से जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,
करेडा जिला भीलवाडा (राज0)

Scanned with OKEN Scanner